

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं०सं०-561 / बी०एन०आर०सी० / 2020 / 1156/139/स्वा०, पटना, दिनांक 20.02.2023
सामाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, वेकार बाँध, धनबाद द्वारा संचालित के०के०इंस्टीच्यूट

ऑफ नर्सिंग(ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल), बेरौती, नेपुरा, बिहारशरिफ, नालन्दा-803115 के अन्तर्गत ए०एन०एम० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक 484/बी०एन०आर०सी०, दिनांक 20.02.2023 के द्वारा डा० रत्णा शरण, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों ए०एन०एम०-60(साठ) पर शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का अवधि विस्तार किया जाता है।

2-यह अवधि विस्तार जिला पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त होने वाले निरीक्षण प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

3-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०सं०-561 / बी०एन०आर०सी० / 2020 / 1156/139/स्वा० पटना, दिनांक 20-02-2023
प्रतिलिपि :- सचिव, के०के०इंस्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग(ए०एन०एम० ट्रेनिंग स्कूल), बेरौती, नेपुरा, बिहारशरिफ, नालन्दा-803115 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, आर्यभट्ट ज्ञानवशिविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।